झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

कल्याण विभाग के अधीन आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक संस्थान/गैर सरकारी संस्थाओं से प्रस्ताव के लिए निवेदन (Request for Proposal)

अनुसूचित जनजाति/आदिम जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के छात्राओं एवं छात्रों को गुणवतापूर्ण शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने के उदेश्य से कल्याण विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। निहित उदेश्यों की पूर्ति हेतु कल्याण विभाग चिन्हित आवासीय विद्यालयों का संचालन शिक्षा के क्षेत्र में निबंधित अग्रणी शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाली गैर सरकारी संस्थाओं/संस्थानों के माध्यम से कराना चाहती है।

जिन विद्यालयों का संचालन शिक्षा के क्षेत्र में निबंधित अग्रणी शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाली गैर सरकारी संस्थाओं/संस्थानों के माध्यम से कराया जाना है की श्रेणी एवं स्वीकृत छात्रबल की विवरणी निम्नांकित है :–

क्र०	विद्यालय की श्रेणी	कक्षा	स्वीकृत छात्रबल
1	2	3	4
1	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय	6 से 12	480
2	आश्रम विद्यालय	6 से 10	200
3	अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1 से 5	60
4	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1 से 5	60
5	पी० टी० जी० आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1 से 5	100

उक्त विद्यालयों में आवासीय छात्रों को वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 10 एवं वर्ग 6 से 12 तक की शिक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली (CBSE, Delhi) अथवा राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित पाठयक्रम, शिक्षण स्तर एवं मापदंडों के अनुरूप प्रदान की जानी है।

उक्त उदेश्यों के पूर्ति हेतु चिन्हित आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु निबंधित अग्रणी शिक्षण संस्थानों, एवं शिक्षा की क्षेत्र में में कार्य करने का अनुभव रखने वाली गैर सरकारी संस्थाओं /संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

1. संस्थाओं हेतु न्यूनतम अर्हताएं निम्नवत हैं :–

I. संस्था कम से कम पिछले 3 (तीन) वर्षों से निबंधित होनी चाहिए। (प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

II. आश्रम विद्यालय एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए संस्था को कम से कम 500 छात्रों का **CBSE / ICSE / JAC/ Govt. Statutory Body** से सम्बद्धता प्राप्त उच्च–विद्यालय/महाविद्यालय चलाने का 3 (तीन) वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। अगर संस्थान द्वारा एक से अधिक उच्च–विद्यालय/महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है तो ऐसे सभी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या का योग 500 से कम नहीं होना चाहिए।

III. पी०टी०जी०/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति प्राथमिक आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए संस्था को कम से कम 100 छात्रों का सरकार से मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय संचालन का 3 (तीन) वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।

IV. सरकार /सरकारी विभाग/विश्वविद्यालय/सम्बद्धता या मान्यता प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थान से मान्यता प्राप्त/सम्बद्धता प्राप्त होना अनिवार्य है।

v. झारखण्ड सरकार/ केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग के साथ पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरशिप (पी०पी०पी०) मोड पर या राज्य सरकार के अनुदान से आवासीय प्राथमिक विद्यालय/आवासीय उच्च विद्यालय/महाविद्यालय के संचालन का 3 (तीन) वर्षों का अनुभव।

vi. झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कार्य करने का 3 (तीन) वर्षों का अनुभव।

vii. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एवं आश्रम विद्यालय के संचालन हेतु आवेदन करने वाले संस्थान का पिछले तीन वर्षो में लगातार न्युनतम वार्षिक टर्न–ओवर 100.00 लाख/वित्तीय वर्ष होना अनिवार्य है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों का संचालन हेतु आवेदन करने वाले संस्थान का पिछले तीन वर्षो में लगातार न्युनतम वार्षिक टर्न–ओवर 25.00 लाख/वित्तीय वर्ष होना अनिवार्य है।

viii. यद्यपि विद्यालय के संचालन एवं संधारण हेतु राशि प्रत्येक वर्ष दो किश्तों में निर्गत की जायेगी, पर आवंटन विमुक्त करने की प्रकिया में विलम्ब होने की स्थिति में राशि का स्वतः प्रबन्ध करते हुए विद्यालय को कम से कम 6 माह तक सुचारू एवं सफल संचालन निर्बाध जारी रखना संस्था की जिम्मेदारी होगी। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की व्यय विवरणी एवं विपत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

2. तकनीकी प्रस्ताव :–

तकनीकी प्रस्ताव में / के साथ निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट सूचना देना /प्रमाण देना/ स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

1- संस्था के निबन्धन संबंधी प्रमाण–पत्र।
2- संस्था की अपनी आधारभूत संरचना की विवरणी एवं इस आशय का शपथ–पत्र।
3- संस्था के प्रबन्धकों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के नाम, शैक्षणिक योग्यताएँ, पद एवं दिये जा रहे पारिश्रमिक /वेतन /मानदेय की विवरणी ।
4- शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं का विद्यालय /महाविद्यालय / व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाने का कम से कम 3 (तीन) वर्षों का अनुभव से संबंधित साक्ष्य।
5- चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा जारी वार्षिक टर्न–ओवर की प्रमाणिकता से संबंधित प्रमाण–पत्र (मुल प्रति), विगत तीन वित्तीय वर्षों/ असेस्मेंट वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट।
6- विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक कार्य–बल (**Man-Power Details), Right to Education Act,** के परिप्रेक्ष्य में गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं आवासीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय संचालन हेतु प्रस्तावित **Action Plan.**
7- इस आशय का शपथ पत्र **(affidavit)** कि संस्था को किसी भी सरकार अथवा विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
8- आवेदक संस्था के अंतर्गत कितने शिक्षण संस्थान संचालित है, उसकी सूची।

3. <u>अन्य शर्ते</u> :–

1. कल्याण विभाग के साथ पूर्व से शिक्षण/व्यवसायिक प्रशिक्षण का कार्यानुभव रखने वाली स्वच्छ छवि वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, बशर्ते वे सभी अर्हतायें पूरी करते हों।

2. वैसे संस्थाएँ जिनके द्वारा वर्तमान में कल्याण विभाग के अनुदान से आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है एवं विद्यालय संचालन संबंधि प्रगति प्रतिवेदन विभाग के पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा संतोषजनक प्रतिवेदित किया गया है को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. वैसे संस्थाएँ जिनके द्वारा वर्तमान में कल्याण विभाग के अनुदान से आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है का इस प्रक्रिया के तहत पुनः चयन किया जाता है तो वैसे संस्थाओं को उसी विद्यालय का संचालन हेतु चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जिस विद्यालय का संचालन संबंधित संस्था द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है, बशर्ते वे सभी अर्हतायें पूरी करते हों एवं उनका कार्य संतोषनजक हो।

4. चयनित संस्थानों के द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से किसी प्रकार की फीस अथवा अन्य शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।
5. विद्यालयों का संचालन एवं संधारण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही किया जायेगा। एवं विद्यालयों के संचालन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. विद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं का चयन एवं नामांकन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा।
7. आवासीय विद्यालय का संचालन वर्तमान में दो (02) वर्षों के लिए सौंपा जायेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि विस्तार किया जा सकता है, परंतु अवधि विस्तार नहीं किए जाने की स्थिति में संस्थाओं द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।
8. आवेदनकर्ता संस्थाओं को विभाग की ओर से कोई भी सूचना संबंधित संस्था के Email पर ही उपलब्ध करायी जाएगी।
9. आवेदनकर्ता संस्था जिनका प्रस्ताव विभाग द्वारा निरस्त किया जाएगा या चयन प्रक्रिया के उपरांत जिनका चयन नहीं हो पाएगा उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा।
10. विभाग इस विज्ञापन को निरस्त करने, विज्ञापन के किसी प्रावधान को शिथिल या परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. विभाग द्वारा दिया जाने वाला सहयोग :–

1. विद्यालय संचालन हेतु चयनित संस्थाओं को विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
2. विद्यालय संचालन हेतु चयन के उपरांत एकरारनामा संपादित होने पर जिस दिन से विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाएगा उसी दिन से अवशेष वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

6. चयन प्रक्रिया :–

1. इच्छुक गैर–सरकारी संस्था/अन्य संस्थान जो इन विद्यालयों के संचालन की इच्छा रखते हैं, वे अपने तकनीकी प्रस्ताव समर्पित कर सकते हैं । संस्थाएं अपना तकनीकी बिड (**Technical bid**) जिसमें **Annexure-A** पर अंकित विहित प्रपत्र में आवेदन, तकनीकी प्रस्ताव एवं अन्य सम्बन्धित /वांछित अभिलेख/कागजात हों मुहरबंद लिफाफे में बन्द करके कल्याण विभाग, द्वितीय तल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची में **29.07.2016** तिथि एवं **अपराह्न 5.00 बजे** समय तक समर्पित करेंगे, लिफाफे के उपर स्पष्ट शब्दों में यह अंकित होना चाहिये।
   "गोपनीय " आवासीय विद्यालयों हेतु तकनीकी बिड।
2. तकनीकी बिड द्वारा शॉर्ट–लिस्टेड संस्थाओं को अपने प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण (**Presentation**) देने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है, जिसकी सूचना उन्हे अलग से कालांतर में आवेदन में अंकित E-Mail पर दी जायेगी।
3. संस्थाओं के अंतिम रूप से चयन हेतु सचिव, कल्याण विभाग के अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

7. <u>महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं प्रस्ताव जमा करने का स्थान</u> :–

1. तकनीकी बिड जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : **दिनांक–29.07.2016** को **अपराह्न 5:00 बजे** तक कमरा सं0–250, द्वितीय तल, झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची–834004 में।

8. <u>आवेदन की प्रक्रिया</u> :–

संस्थान/संस्थाओं को तकनीकी प्रस्ताव विहित प्रपत्र (Annexure–A) में भर कर वांछित अभिलेख/कागजातों को संलग्न करते हुए सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के कार्यालय (कमरा सं0–250, द्वितीय तल, झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची–834004) में अंतिम तिथि 29.07.2016 तक जमा करना होगा।

10. <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u> :–

1. संबंधित आवासीय विद्यालय का सक्षम प्राधिकार के द्वारा समय–समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं प्रत्येक तीन माह पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा। अनुश्रवण एवं मुल्यांकन के क्रम में अगर यह पाया जाएगा कि विभाग के मापदडों एवं अनुबंध के शर्तों के अनुरूप विद्यालय का संचालन चयनित संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो विभाग द्वारा संबंधित संस्था से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। संबंधित संस्था द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर अनुबंध अवधि के बीच में ही विद्यालय संचालन हेतु अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एंव संस्था के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
2. विद्यालय संचालन हेतु चयनित संस्थाओं के साथ एकरारनामा होने के बाद भी आवश्यकतानुसार विद्यालय संचालन की प्रक्रिया एवं गुणवता को उत्तमतर बनाने हेतु समय–समय पर मार्गनिदेश निर्गत करने एवं पूर्व में निर्गत मार्गनिर्देशों को संसोधित करने का अधिकार विभाग को होगा जो चयनित संस्थाओं को मान्य होगा।

05.7.16

सचिव,
कल्याण विभाग।

Annexure - A

DEPARTMENT OF WELFARE
GOVERNMENT OF JHARKHAND

Application Form

I Details of Institutions / Non-Governmental Organization (NGO)

S. No.	Particulars	To be filled by Institutions /NGO
1	Name of the Organization (as per registration certificate)	
2	(a) Name of President (b) Name of Secretary	
3	Full address of Headquarter of Organization with PIN code	
4	Latest landline telephone no. with STD code	
5	Mobile no. of President and Secretary	
6	E-mail address of Organization	
7	Name of Act under which registered	
8	Details of registration and date of expiry (attested photocopy of registration to be enclosed)	Registration No.: Date of registration: Date of expiry:
9	Details of Management Committee/Governing Body as per Annexure 1	
10	Details of Contact person	

II Suitability of Institutions/NGO

S. No.	Particulars	To be filled by Institutions /NGO
1	Experience of the Organization in the relevant field (should not be less than 3 years)	
2	Other educational activities in which the Organization is involved	
3	Financial resources of the Organization along with bank account nos. in various banks	
4	Whether Organization is in position to run the project without assistance from Welfare Department	
5	Whether Organization has been declared bankrupt at any point of time	Yes/No
6	If so, reasons thereof	
7	Whether Organization is involved in promoting any religious faith	
8	Whether Organization has been blacklisted by any institution of the Government at any point of time, if so the details thereof	

9	Details of Staff Employed of your organization	As per Annexure 2
10	Assets acquired wholly or substantially out of Government Grants	
11	Whether Institution/ NGO currently running Schools/ College in Jharkhand/India/? If so, give the details of these Schools/College.	
12	Whether Institution/ NGO currently running Schools of Welfare department, G.O.J ? If So give the details	
13	Whether concerned staff are trained under RTE act 2009	Give details as Annexure

III Bank details of the Organization for transfer of funds

S. No.	Particulars	To be filled by VO/NGO
1	Details of main account: Name and full address of the Bank where the Organization desires to receive the financial assistance from Department of Welfare	
2	MICR code of the branch of the Bank	
3	IFSC code of the Bank Branch	
4	Nature of account (current/saving) and correct account no.	
5	Names of authorized signatories operating the bank account (please enclose certificate for specimen signatures as per Annexure 3)	

Note: Authorization letter as enclosed as Annexure 3 to be attached with application. This letter should be countersigned by the Bank Manager. The details on this letter shall be for that bank where the grants have been proposed to be transferred by the organization.

V. Technical Proposal

Sl. No	Particulars	Details
a)	Registration of Organization	
b)	Details of registration if any under- CBSE, ICSE, JAC, University, any other Govt. Statutory Body	
c)	Details of basic infrastructure of Organization and declaration certificate	
d)	Details of Staff, educational qualification, post, salary/honorarium	
e)	Running of educational institutions experiences in details	
f)	Details of Experience of Running educational institutions fully aided by Central/ State Govt.	
g)	Yearly turnover- details of last three years financial statement by CA	
h)	Certificate of satisfactory financial standing by bank	
i)	Details of Experience of working in ST/SC dominated area	
j)	Details of action plan for running school	
k)	A certificate that your organization is not blacklisted from any Government Department	
l)	Details if your organization is currently running school of Welfare Department, G.O.J.	

Signature of President/Secretary
Full Name:
Designation:
Seal of Organization

ANNEXURE 1

Composition of Managing Committee/Governing Body

1. Name and Postal Address of the organization:

2. Details of Managing Committee/Governing Body

S. No.	Name of the Members	Sex (M/F)	Father's Name	Spouse's Name	Complete Residential Address	Whether SC/ST/ OBC/GEN	Self Occupation	Occupation of the Spouse	Position held in the Managing Committee/Governing Body
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Declaration:

1. Certified that the composition of the above Managing Committee/Governing Body is in accordance with the approved Bye laws and Memorandum of Association of the Organisation.

2. Certified that the above Managing Committee was elected by the General Body in its meeting held on ______________. The life of the Committee is from ___________ to ___________.

3. Certified that the instant proposal has the consent of all the aforesaid members including the members belonging to Scheduled Tribes.

Place:
Date:

Signature of President/Secretary
Full Name of the signatory
Designation
Seal of the Organisation

ANNEXURE 2

DETAILS OF THE STAFF EMPLOYED

1. Name and address of the Organization
2. Name and address of the Project:
3. Details of Staff employed in previous year:

(i) Total no. of Staff employed:
(ii) No. of ST Staff:
(iii) No. of Males and females staff:
(iv) Details as follows:

S. No.	Name & Address	Sex (M/F)	Educational Qualification	Trained/ Untrained	Date of Appoint-ment	Appointed as	Period for which Employed during the year	Honorarium Per Month	Total Honorarium	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(v) Whether there is any change in staff members from the previous year, if so, give details:

Date:
Place

Signature of the Secretary/president
(Office stamp of the Organization)

ANNEXURE 3

CERTIFICATE

Authorized Signatories Operating Bank A/C No.____________________ In Respect of

Organization __________________________ __________

I- Signature:
Name:
Address:
Designation in organization

II- Signature:
Name:
Address:
Designation in organization:

Signature of Bank Authority with stamp____________________________

Name & Designation:

Name and address of Bank:

Date:

....